

राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती-2015

निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर Website : www. .rajasthan.gov.in

विज्ञापित सं. 01/2015

Email ID :

फोन नं. (0151),

फैक्स

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 एवं राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के प्रावधानों के अन्तर्गत तृतीय श्रेणी अध्यापक के प्रथम लेवल कक्षा 1 से 5 के लिये 6000 तथा द्वितीय लेवल कक्षा 6 से 8 के लिये 9000 कुल 15000 पदों पर सीधी भर्ती 2015 के लिये निर्धारित ऑन लाईन आवेदन पत्र (Online Application Form) आमंत्रित किये जाते हैं। अभ्यर्थी वेबसाईट पर दिनांक से आनलाईन आवेदन कर सकेंगे, जिसकी आवेदन प्रक्रिया/पात्रता मापदण्ड, ऑनलाईन आवेदन के चरण निम्नानुसार है:-

कार्यक्रम

ई-मित्र कियोस्क/जनसुविधा केन्द्र पर शुल्क जमा : दिनांक.....से.....
कराकर टोकन प्राप्त करने की तिथि
वेबसाईट पर टोकन नम्बर अंकित करके ऑनलाईन : दिनांक.....से.....
आवेदन पत्र भरने की तिथि

1. **सामान्य सूचना :-** राज्य सरकार के आदेशानुसार राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक के पदों पर भर्ती हेतु राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (RTET/REET) के प्राप्तांकों के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जायेगी। अध्यापकों की भर्ती हेतु कक्षा - 1 से 5 तक (लेवल-1) तथा कक्षा - 6 से 8 तक (लेवल-2) में राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (RTET/REET) के लिए पात्र घोषित अभ्यर्थी जिन्होंने 60 प्रतिशत अंक या इससे अधिक अंक प्राप्त किये हैं की राज्य स्तरीय योग्यता सूची (Merit list) तैयार की जायेगी। RTET/REET परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर तैयार योग्यता सूची के आधार पर अभ्यर्थियों को लेवल-1 तथा लेवल-2 के अध्यापक के पद पर नियुक्ति प्रदान की जा सकेगी। अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन करते समय 33 जिलों की Preference (प्राथमिकता) देनी होगी। अभ्यर्थियों को जिलेवार विकल्प सूची में शामिल होने के लिये TSP क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य सभी जिलों की वरीयता देनी होगी, परन्तु TSP Area के अभ्यर्थी TSP Area के जिलों के साथ-साथ अन्य जिलों के लिये भी वरीयता दे सकेंगे। REET एवं RTET परीक्षा का स्तर समान है। अतः यदि कोई अभ्यर्थी RTET तथा REET दोनों परीक्षा उत्तीर्ण करता है तो उसके द्वारा उत्तीर्ण RTET/REET परीक्षाओं में अधिकतम अंक प्राप्त परीक्षा परिणाम का लाभ प्राप्त कर सकेगा।

विशेष नोट:- :- I. Online Application Form में वांछित समस्त सूचना अवश्य अंकित कर। कोई

सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर अभ्यर्थी का आवेदन रद्द कर दिया जावेगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी तथा गलत सूचना या अपूर्ण आवेदन में सुधार हेतु पत्र व्यवहार स्वीकार नहीं किया जावेगा। ऑन लाईन आवेदन क पश्चात उस आवेदन क कम म आवेदित पद एवं आवेदित श्रेणी मे किसी प्रकार का कोई परिवर्तन अनज्ञेय नही होगा।

II . विज्ञापित पदा मे कमी या बढोतरी की जा सकती है, जिसके लिये अलग से विज्ञापित जारी नही की जावेगी।

III आरक्षण की स्थिति एवं नियुक्ति प्रकिया राज्य सरकार के निर्देशो एवं नवीनतम नियमों के अधधीन परिवर्तनीय होगी।

2. **जिलेवार रिक्त पद :-** विज्ञापित के अंत में परिशिष्ट -1 संलग्न है।

3. **आरक्षण :-** नियुक्ति हेतु आरक्षण प्रावधान बिन्दु संख्या 6.2 पर उल्लेखित हैं।

4. **वेतनमान :-** राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतन नियम 2008 के नियम 21 के अनुसूची iv के अनुसार परीवीक्षाकाल में नियत पारिश्रमिक रूपये 13200/- देय होगा एवं इसके अतिरिक्त अन्य कोई भत्ते यथा मकान किराया भत्ता, मंहगाई भत्ता, शहरी क्षति पूर्ति भत्ता, विशेष वेतन आदि देय नहीं होंगे। परीवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में अन्य सुविधाएँ एवं अवकाश आदि राजस्थान पंचायती राज नियम एवं राजस्थान सेवा नियमों में निहित संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होंगे। दो वर्ष के परीवीक्षा प्रशिक्षण अवधि के संतोषजनक पूर्ण होने के उपरांत ही पद की वेतन श्रृंखला का नियमानुसार वेतनमान 9300-34800 में ग्रेड पे 3600 देय होगा। दिनांक 1.1.2004 से नयी भर्ती/नियुक्त होने वाले नये राज्य कर्मचारियों के लिये निर्धारित अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

5. **नियुक्ति हेतु निरर्हता :-**

- i. सेवा में नियुक्ति के लिए ऐसा अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसके 1.6.2002 को या उससे पश्चात् दो से अधिक संतानें हैं, परन्तु दो से अधिक संतानों वाले अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए तब तक निरर्हित नहीं समझा जायेगा जब तक कि उसकी संतानों की संख्या, जो 1 जून 2002 को थी, में वृद्धि न हो। परन्तु यह और कि जहाँ किसी अभ्यर्थी के पूर्व

के प्रसव से एक संतान हो किन्तु किसी पश्चात्पूर्वी एकल प्रसव से एकाधिक संतानें जन्म ले लें तो संतानों की कुल संख्या गिनते समय इस प्रकार जन्मी संतानें एक समझी जायेगी।

- ii. कोई भी पुरुष अभ्यर्थी जिसके एक से अधिक जीवित पत्नियों हैं, सेवा में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि सरकार, इस बात का समाधान करने के पश्चात् कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार हैं, इस नियम के प्रवर्तन से किसी भी अभ्यर्थी को छूट न दे दे।
- iii. कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसके पहले से ही कोई पत्नी है, सेवा में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगी, जब तक कि सरकार इस बात का समाधान करने के पश्चात् कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है, इस नियम के प्रवर्तन से उस महिला अभ्यर्थी को छूट न दे दे।
- iv. यदि अभ्यर्थी – () अच्छे चरित्र का नहीं है, या (इ) किसी भी अन्य पंचायती राज संस्था या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण या राज्य या केन्द्रीय सरकार की सेवा से अवचार के कारण पदच्युत किया गया है, या (c) किसी ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है जिसमें नैतिक अधमता अन्तर्वलित है, या (d) किसी पंचायती राज संस्था या किसी नगरपालिका का सदस्य है।

6. नियुक्ति हेतु –

6.1 आयु सीमा :-

राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 265 के अनुसार आयु की दृष्टि से राजकीय सेवा में तृतीय श्रेणी शिक्षक पद पर भर्ती हेतु वहीं अभ्यर्थी पात्र होगा जिसकी आयु दिनांक 01.01.2016 को 18 वर्ष से अन्यून हो तथा 35 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं किया होना चाहिये। परन्तु यह है कि जिस भर्ती वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के पदों के लिये भर्ती नहीं हुई हो, और यदि कोई अभ्यर्थी उस वर्ष आयु की दृष्टि से पात्र था, तो उसे आयु की दृष्टि से पात्र माना जावेगा, किन्तु यह छूट तीन वर्ष से अधिक नहीं दी जावेगी अर्थात् तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा पश्चात्पूर्वी वर्षों में न होने वाले वर्षों के आधार पर अधिकतम 3 वर्ष तक ऊपरी आयु सीमा में छूट देय होगी।

निम्नलिखित श्रेणी के अभ्यर्थियों को निम्नानुसार आयु सीमा में छूट देय है:-

1. राजस्थान राज्य के अ.जा/अ.ज.जा./अ.पि.व./वि.पि.व. के पुरुष अभ्यर्थी या सामान्य प्रवर्ग की महिला अभ्यर्थी के लिये ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट।
2. राजस्थान राज्य की अ.जा/अ.ज.जा./अ.पि.व./वि.पि.व के महिला अभ्यर्थी के लिये ऊपरी आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट।
3. भूतपूर्व सैनिकों के लिए ऊपरी आयु सीमा 50 वर्ष होगी।
4. विधवाओं एवं तलाकशुदा महिलाओं के मामलों में कोई आयु सीमा नहीं होगी।
स्पष्टीकरण : उसे विधवा होने के मामले में सक्षम प्राधिकारी से अपने पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र देना होगा और तलाकशुदा होने के मामले में नियमानुकूल तलाक का सबूत देना होगा।
5. ऐसे भूतपूर्व कैदी के मामले में जो उसकी दोषसिद्धि से पूर्व किसी भी पद पर अधिष्ठायी आधार पर पंचायत समिति व जिला परिषद के अधीन सेवा कर चुका है और इन नियमों के अधीन वह नियुक्ति का पात्र हो उस पर ऊपरी आयु सीमा लागू नहीं होगी।
6. ऐसे भूतपूर्व कैदी जो अपनी दोषसिद्धि से पूर्व अधिक आयु का नहीं था और इन नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र था, कारावास की अवधि के बाबत कालावधि तक शिथिलन देय है।
7. राजस्थान विशेष योग्यजन व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) नियम 2011 के नियम 39 के प्रावधानों के अनुसार सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग तथा एस.सी./एस.टी. के विशेष योग्यजन अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु सीमा में क्रमशः 10, 13 व 15 वर्ष की छूट देय है।

नोट :- उपरोक्त पैरा के प्रावधान 1 से 7 तक पर वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान Non cumulative है, अर्थात् अभ्यर्थियों को उपरोक्त वर्णित किसी भी प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़कर छूट का लाभ देय नहीं होगा।

6.2 आरक्षण प्रावधान :

- (i) उपरोक्त पदों में अ0जा0/अ0ज0जा0/नॉन क्रिमीलेयर अ0पि0व0/नॉन क्रिमीलेयर वि.पि.व./विशेष योग्यजन/भूतपूर्व सैनिकों/उत्कृष्ट खिलाड़ियों/महिलाओं (विधवा एवं विवाह विच्छिन्न महिलाओं सहित) तथा अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों व बारां जिले के सहरिया आदिम जाति का नियमानुसार आरक्षण होगा। राजस्थान के अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के क्रीमिलेयर श्रेणी के अभ्यर्थियों को इस वर्ग हेतु आरक्षित पदों का लाभ देय नहीं है। ऐसी स्थिति में अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के क्रीमिलेयर श्रेणी के आवेदक सामान्य अभ्यर्थी के रूप में आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ी जाति/विशेष पिछड़ा वर्ग के सभी आवेदक सामान्य अभ्यर्थी के रूप में आवेदन कर सकते हैं।

स्पष्टीकरण:-(अ) विज्ञापित पदों में राजस्थान के अनुसूचित जाति/जनजाति के लिये आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.1.2013 के अनुसार आरक्षित रिक्तियों को आगामी तीन भर्ती वर्षों के लिये अग्रणित किया जायेगा। यदि किसी भर्ती वर्ष में भर्ती नहीं की जाती है तो ऐसे वर्षों को उक्त तीन वर्ष की अवधि में सगणित नहीं किया जायेगा।

(ब) राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 16.06.2013 के अनुसार दर्शाये गये अनुसूचित क्षेत्रों (TSP AREA) के आरक्षित पद संबंधित जिले के अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय अभ्यर्थियों से भरे जावेंगे। उक्त अधिसूचना के अनुसार अधिसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के स्थानीय निवासियों के लिये आरक्षित 45 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति के स्थानीय निवासियों के लिये आरक्षित 5 प्रतिशत रिक्तियों के अतिरिक्त शेष 50 प्रतिशत रिक्तिया अनारक्षित पद मानते हुये स्थानीय निवासियों से भरी जायेगी। संबंधित जिले के टीएसपी क्षेत्र के पात्र जनजाति अभ्यर्थी (ST-TSP AREA) उपलब्ध नहीं होने पर

राजस्थान राज्य के अन्य जिलों के अनुसूचित क्षेत्र (TSP AREA) के पात्र जनजाति अभ्यर्थी (ST-TSP AREA) से भरे जा सकेंगे।

(स) क्रिमीलेयर में नहीं होने संबंधित प्रमाण पत्र एक वर्ष के लिये मान्य होगा। एकबार क्रिमीलेयर में नहीं होने का प्रमाण पत्र जारी होने के उपरान्त अगर प्रार्थी आगामी वर्ष में भी क्रिमीलेयर में नहीं है तो ऐसी स्थिति में उससे सत्यापित शपथ पत्र लेकर पूर्व में जारी प्रमाण पत्र को ही मान लिया जावे, ऐसा अधिकतम 3 वर्ष तक किया जा सकता है अर्थात् क्रिमीलेयर में नहीं होने बाबत जारी ओबीसी प्रमाण पत्र को जारी होने की तिथि से 3 वर्ष (अधिकतम) तक मान्यता दी जा सकती है।

(ii) तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती में 12.5 प्रतिशत भूतपूर्व सैनिकों के लिये तथा 2.00 प्रतिशत पद उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिये आरक्षित रहेंगे। ये आरक्षण दण्डवत होगा एवं वर्गानुसार पद भरे जायेंगे।

स्पष्टीकरण:—(क) भूतपूर्व सैनिक से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने भारत संघ की नियमित थलसेना, जलसेना, वायुसेना के किसी भी रैंक में, योद्धक या योद्धक-भिन्न के रूप में सेवा की हो और (अ) जो ऐसी सेवा से पेंशन उपार्जित करके सेवानिवृत्त हुआ हो, या (ब) जो ऐसी सेवा से चिकित्सीय आधारों पर, जो ऐसी सेवा के लिये निर्धारित हो या उन परिस्थितियों के कारण, जो उसके नियंत्रण से परे हो, सेवा से निर्मुक्त किया गया हो और जिसे चिकित्सीय या अन्य नियोग्यता पेंशन प्रदान की गयी हो, या (स) जो अपने स्वयं के अनुरोध से अन्यथा संस्थापन में कटौती के परिणामस्वरूप उक्त सेवा से निर्मुक्त किया गया, या जो अपने स्वयं के अनुरोध से अन्यथा नियुक्ति की विनिर्दिष्ट कालावधि पूर्ण करने के पश्चात या कदाचार अथवा अदक्षता के कारण पदच्युति भी सेवानुक्ति के कारण उक्त सेवा से निर्मुक्त हुआ हो और जिसे सेवानिवृत्ति उपादान दिये गये हो, और इसमें प्रादेशिक थल सेना के लगातार इम्बॉडिड (Embodied) सेवा के पेंशनधारक, सैन्य सेवा के लिये निर्धारित नियोग्यता वाले व्यक्ति, वीरता पुरस्कार विजेता प्रवर्गों के कार्मिक भी सम्मिलित है।

(ख) "उत्कृष्ट खिलाड़ियों" से अभिप्रेत है और इसमें सम्मिलित है राज्य के ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने:— (अ) इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन या संबंधित मान्यता प्राप्त नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी खेलकूद के कोई अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया हो, या (ब) इण्डियन स्कूल स्पोर्ट्स फेडरेशन या संबंधित मान्यता प्राप्त नेशनल स्कूल गेम्स फेडरेशन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी खेलकूद के कोई अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया हो, या (स) इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन या संबंधित मान्यता प्राप्त नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी खेलकूद के कोई राष्ट्रीय टूर्नामेंट में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो, या (द) इण्डियन यूनिवर्सिटीज एसोसिएशन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी खेलकूद के ऑल इण्डिया इंटरयूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में व्यक्तिशः स्पर्धा में या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो।

(iii) विशेष योग्यजन अभ्यर्थियों के लिये:—

(अ) राजस्थान निःशक्तजन व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) नियम 2011 के अनुसार निशक्त अभ्यर्थियों को नियमानुसार आरक्षण देय होगा।

(ब) विशेष योग्यजन के लिये दर्शाये गये आरक्षित पदों का आरक्षण भी दण्डवत रूप से है अर्थात् अभ्यर्थी जिस वर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/वि.पि.व/सामान्य वर्ग) का होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जावेगा।

(स) विशेष योग्यजन आवेदक ऑनलाईन आवेदन पत्र में यथास्थान पर अपने वर्ग एवं निःशक्तता की श्रेणी विशेष का अवश्य उल्लेख करें।

(द) ऐसे आवेदक जो निःशक्तता की श्रेणी में आते हैं, अपनी निःशक्तता के संबंध में राजस्थान निःशक्तजन व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) नियम 2011 के नियमानुसार राजस्थान राज्य के किसी राजकीय अस्पताल के गठित मेडीकल बोर्ड (राजस्थान राज्य सरकार के नियमानुसार गठित तीन चिकित्सा अधिकारी वाला बोर्ड) द्वारा प्रदत्त निःशक्तता का स्पष्ट प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। राजस्थान निःशक्तजन व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) नियम 2011 के अनुसार मेडीकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त निःशक्तता का प्रमाण पत्र जो 40 प्रतिशत या इससे अधिक निःशक्तता का होने पर ही आवेदक विशेष योग्यजन अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों हेतु पात्र माना जावेगा।

(य) विशेष योग्यजन के आरक्षित पदों के लिये पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में इन पदों को राजस्थान निःशक्तजन व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) नियम 2011 के अनुसार भरा जावेगा। विशेष योग्यजन के उक्त नियम के अनुसार विशेष योग्यजन अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण या अन्य किसी भी पर्याप्त कारण से पद भरा नहीं जा सकता हो, वहां ऐसी रिक्ति को अग्रणीत किया जावेगा।

(iv) राजस्थान की अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)/विशेष पिछड़ा वर्ग (SBC) (नॉन क्रिमीलेयर) के आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य वर्ग से भरा जावेगा।

(v) विज्ञापित रिक्तियों में महिला अभ्यर्थियों का आरक्षण दण्डवत (Horizontal) रूप से प्रवर्गानुसार (Categorywise) है। महिला अभ्यर्थियों का आरक्षण उस सम्बन्धित प्रवर्ग में जिसकी वे महिला अभ्यर्थी हैं, अनुपातिक रूप से समायोजित किया जावेगा।

स्पष्टीकरण अ). किसी वर्ग (सामान्य/अ0जा0/अ0ज0जा0/अ0पि0व0 एवं वि.पि.व (नॉन क्रिमीलेयर)) की पात्र एवं उपयुक्त महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों से भरा जावेगा। अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग केटेगरी में आवेदन करने वाली विवाहित महिला आवेदक को अपने पिता के नाम निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी अ0पि0वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग का नोन क्रिमीलेयर का

नवीनतम प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पति के नाम व आय के आधार पर जारी प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।

- ब). महिलाओं हेतु आरक्षित दर्शाये गये पदों में से नियमानुसार 8 प्रतिशत पद विधवा एवं 2 प्रतिशत पद परित्यक्ता (विछिन्न विवाह महिला) के लिये आरक्षित है। किसी वर्ग (सामान्य/अ.जा/अ.ज. जा/अपिव/विपिव) की पात्र एवं उपयुक्त विधवा/परित्यक्ता महिला (विछिन्न विवाह महिला) अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग की/में वरियता प्राप्त अन्य महिला अभ्यर्थियों से भरा जायेगा।
- स). मुस्लिम परित्यक्ता महिलाओं के मामले में न्यायालय की तलाक की डिक्री के अलावा तलाकनामा जारी करने हेतु अधिकृत काजी द्वारा जारी तलाकनामा भी मान्य होगा परन्तु इस बाबत महिला को समाज के दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों का स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा जो उनके तलाक को प्रमाणित करें एवं साथ ही महिला स्वयं को भी इस संबंध में स्वयं का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

- (vi) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के आरक्षित पद केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों, जो राजस्थान राज्य के स्थाई निवासी हैं, से ही भरे जावेंगे। राजस्थान राज्य के स्थाई निवासी नहीं होने पर आवेदक को सामान्य वर्ग का माना जावेगा।
- (vii) विज्ञापित पदों में राजस्थान के अनुसूचित जाति/जनजाति के लिये आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.1.2013 के अनुसार आरक्षित रिक्तियों को आगामी तीन भर्ती वर्षों के लिये अग्रणीत किया जायेगा। यदि किसी भर्ती वर्ष में भर्ती नहीं की जाती है तो ऐसे वर्षों को उक्त तीन वर्ष की अवधि में सगणित नहीं किया जायेगा।
- (viii) राजस्थान के अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों एवं उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिये आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जावेगा।
- (ix) राजस्थान के अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग की क्रीमिलेयर श्रेणी के अभ्यर्थी तथा राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग (क्रीमिलेयर एवं नॉन क्रीमिलेयर) के आवेदक सामान्य वर्ग के अन्तर्गत आते हैं।
- (x) अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./वि.पि.व./विशेष योग्यजन का प्रमाण पत्र ऑनलाईन एप्लीकेशन फार्म में प्राप्ति की अंतिम दिनांक के पूर्व का जारी होना चाहिए, अन्यथा अंतिम दिनांक के बाद जारी हुए प्रमाण पत्रों के अभ्यर्थियों को वर्ग विशेष का लाभ विज्ञापित पदों हेतु नहीं होगा और ना ही इस संबंध में किसी प्रार्थना-पत्र पर विचार किया जावेगा।

7. ऑनलाईन आवेदन प्रक्रिया :- प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक पद के लिए सीधी भर्ती हेतु आवेदन पत्र ऑनलाईन वेबसाइट ----- पर लिये जायेंगे, जिन्हें राज्य के निर्धारित ई-मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.) के माध्यम से भरा जा सकता है। इस हेतु अभ्यर्थी को ई-मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र पर निर्धारित तिथियों में आवेदन शुल्क + रूपये 10/- आवेदन शुल्क जमा कराने का सेवा शुल्क जमा कर टोकन प्राप्त कर लें। तदुपरांत निर्धारित तिथियों में वेबसाइट पर टोकन नम्बर अंकित कर ऑन लाइन आवेदन पत्र भरे। कियोस्क पर ही आवेदन पत्र भरवाने पर आवेदक को रूपये 20/- इस हेतु जमा कराकर इस की रसीद पृथक से कटवानी होगी। ऑनलाईन आवेदन पत्र को भरने के लिए अनुदेश व प्रपत्र उक्त वेबसाइट पर उपलब्ध है। ऑनलाईन के अतिरिक्त किसी भी प्रकार से किया गया आवेदन कार्यालय द्वारा स्वीकार्य नहीं होगा।

8. आवेदन शुल्क :-

आवेदक अपनी पात्रता के अनुरूप निम्नानुसार आवेदन शुल्क राज्य के निर्धारित ई-मित्र कियोस्क/ जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.) के माध्यम से जमा करायेंगे।

- स्तर-I अथवा स्तर-II (केवल एक) हेतु रूपये/-
- स्तर-I एवं स्तर-II (दोनों) हेतु रूपये/-

ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम तिथि दिनांक है परन्तु अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि से एक दिन पूर्व अर्थात् दिनांक तक ही शुल्क जमा करवा सकेंगे। दिनांक..... के बाद शुल्क जमा कराने की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।

नोट:-

1. अभ्यर्थी शुल्क जमा कराने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि वे इस विज्ञप्ति के अनु. -9 के अनुसार निर्धारित मापदण्डों के आधार पर आवेदन करने का पात्र है। यदि बिना जांच किए शुल्क जमा कराई जाती है तो इसे वापस नहीं लौटाया जा सकेगा।
2. अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन में जो भाषा, विषय, श्रेणी, जन्मतिथि तथा जिलों की वरियता का चयन किया गया है, उसमें बाद में संशोधन करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। अतः अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र पूरी सावधानी के साथ भरें।
3. ऑनलाईन आवेदन में सुविधा हेतु आवेदक आवेदन-पत्र का प्रारूप वेबसाइट ----- से डाऊनलोड कर लें और उसे ऑनलाईन आवेदन से पूर्व हाथ से भर लें। आवेदक अपना ऑनलाईन आवेदन-पत्र अन्तिम रूप में भरने से पूर्व उसकी प्रविष्टियों का प्रिन्टआउट लेकर आश्वस्त हो लें कि सभी प्रविष्टियां सही-सही भरी गई हैं। प्रविष्टियों के सही होने के सम्बन्ध में साइबर-कैफे, कियोस्क या कम्प्यूटर एजेन्सी पर निर्भर नहीं रहें।

9 सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएँ

निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 की धारा (23) की उप धारा (1) के अन्तर्गत राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की अधिसूचना दिनांक 23, अगस्त 2010 सपटित (29 जुलाई 2011) के संशोधित मापदण्डानुसार व मान.उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार राजस्थान अध्यापक भर्ती 2015 में सम्मिलित होने हेतु योग्यताएँ एवं न्यूनतम अंक प्रतिशत विभिन्न वर्गों के लिए निम्नानुसार होंगे :-

9.1 कक्षा 1 से 5 (स्तर-प्रथम) के शिक्षकों की भर्ती परीक्षा के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएँ :-

- A. न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (या इसके समकक्ष) एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा (जिस नाम से भी जाना जाता हो) में उत्तीर्ण।

Senior Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and passed 2-year Diploma in Elementary Education (by whatever name known).

अथवा

- B. न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (या इसके समकक्ष) एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा (जिस नाम से भी जाना जाता हो) में उत्तीर्ण जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता, मानक और क्रियाविधि) विनियम, 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो।

Senior Secondary (or its equivalent) with at least 45% marks and passed 2-year Diploma in Elementary Education (by whatever name known) in accordance with the NCTE (Recognition Norms and Procedure), Regulation, 2002.

अथवा

- C. न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (या इसके समकक्ष) एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र स्नातक(बी.एल.एड.) में उत्तीर्ण।

Senior Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and passed 4-year Bachelor of Elementary Education (B.El.Ed).

अथवा

- D. न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (या इसके समकक्ष) एवं शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा (विशेष शिक्षा) में उत्तीर्ण।

Senior Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and passed 2-year Diploma in Education (Special Education).

अथवा

- E. स्नातक एवं प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे जिस भी नाम से जाना जाता हो।) में उत्तीर्ण।

Graduation and passed two year Diploma in Elementary Education (by whatever name known).

स्पष्टीकरण :- उपरोक्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताओं में बिन्दु A,B,C व E सामान्य शिक्षक तथा बिन्दु D की विशेष शिक्षक पद हेतु होगी।

9.2 कक्षा 6 से 8 (स्तर-द्वितीय) के शिक्षकों की भर्ती परीक्षा के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएँ :-

- A. स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा (जिस नाम से भी जाना जाता हो) में उत्तीर्ण या इस कोर्स के अन्तिम वर्ष में अध्ययनरत्। Graduation and passed 2-year Diploma in Elementary Education (by whatever name known).

अथवा

- B. न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक एवं शिक्षा शास्त्र में एकवर्षीय स्नातक (बी.एड.) में उत्तीर्ण। Graduation with at least 50% marks and passed 1-year Bachelor in Education (B.Ed).

अथवा

- C. न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक एवं शिक्षा शास्त्र में एकवर्षीय स्नातक (बी.एड.) में उत्तीर्ण जो इस संबंध में समय-समय पर जारी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता, मानक और क्रियाविधि) विनियम के अनुसार प्राप्त किया गया हो। Graduation with at least 45% marks and passed 1-year Bachelor in Education (B.Ed), in accordance with the NCTE (Recognition Norms and Procedure) Regulations issued from time to time in this regard.

अथवा

- D. न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (या इसके समकक्ष) एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र स्नातक(बी.एल.एड.) में उत्तीर्ण। Senior Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and passed or appearing in final year of 4-year.

अथवा

- E. न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (या इसके समकक्ष) एवं 4 वर्षीय स्नातक एड. या बी.ए.एड./बी.एस.सी.एड. में उत्तीर्ण। Senior Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and passed

अथवा

- F. न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक एवं एक वर्षीय बी.एड. (विशेष शिक्षा) में उत्तीर्ण या एक वर्षीय बी.एड. (विशेष शिक्षा) कोर्स में अध्ययनरत्। Graduation with at least 50% marks and passed 1-year B.Ed. (Special Education).

स्पष्टीकरण :- उपरोक्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताओं में बिन्दु A से E सामान्य शिक्षक तथा बिन्दु F की विशेष शिक्षक पद हेतु होगी।

- **अध्यापक शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम :-** इस अधिसूचना के संदर्भ में केवल राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (राअशिप) द्वारा मान्यता-प्राप्त अध्यापक शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम मान्य होगा। शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा (विशेष शिक्षा) और बी.एड. (विशेष शिक्षा) के लिए केवल भारतीय पुनर्वास परिषद् (आरसीआई) द्वारा मान्यता-प्राप्त

पाठ्यक्रम मान्य होगा। यहां यह उल्लेखनीय है कि आरसीआई द्वारा विशेष शिक्षा के लिये निर्धारित पाठ्यक्रम मान्य होगा परन्तु पाठ्यक्रम की अवधि व अध्यापक हेतु योग्यता एनसीटीई द्वारा निर्धारित अनुसार ही मान्य होगी।

● **विशेष अनिवार्य प्रशिक्षण—**

वह व्यक्ति, जिसने डी.एड (विशेष शिक्षा) अथवा बी.एड (विशेष शिक्षा) उत्तीर्ण की हो, नियुक्ति के बाद प्रारम्भिक शिक्षा में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा प्रदत्त 6 महीने का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक होगा।

● **माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 3964/2011 सुशील सोमपुरा व अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 20.05.2011 के क्रम में राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक F.7 (1) E.E./Plan-2011 दिनांक 17 जून 2011 एवं 16.09.2013 में प्रदत्त निर्देशानुसार REET-2015 के लिये आवेदन करने हेतु निम्नानुसार अभ्यर्थी भी पात्र होंगे :-**

1. ऐसे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) की अधिसूचना दिनांक 27.09.2007 के जारी होने से पहले शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में प्रवेश ले लिया था उन्हें सीनियर सैकण्डरी (10+2) या समकक्ष/स्नातक स्तर या समकक्ष परीक्षा में न्यूनतम प्रतिशत प्राप्त होने की कोई बाध्यता नहीं है। जम्मू एवं कश्मीर से उक्त अवधि से पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम प्रतिशत प्राप्त होने की कोई बाध्यता नहीं है।
2. ऐसे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) की अधिसूचना दिनांक 27.09.2007 के जारी होने के बाद तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) की अधिसूचना दिनांक 31.08.2009 जारी होने के बीच की अवधि में शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में प्रवेश लिया था, उनके लिये सीनियर सैकण्डरी (10+2) या समकक्ष/स्नातक स्तर या समकक्ष पर कोर्स अथवा जम्मू एवं कश्मीर से उक्त अवधि में शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 45 प्रतिशत प्राप्त होने की अनिवार्यता उक्तानुसार ही होगी। इसके समकक्ष परीक्षा में न्यूनतम 45 प्रतिशत प्राप्तांक होने की बाध्यता लागू होगी।
3. ऐसे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) की अधिसूचना दिनांक 31.8.2009 जारी होने के बाद शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में प्रवेश लिया है, उनके लिये सीनियर सैकण्डरी (10+2) या समकक्ष/स्नातक स्तर या समकक्ष परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत प्राप्तांक की बाध्यता आवश्यक होगी। जम्मू एवं कश्मीर से उक्त तिथि के बाद शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम 50 प्रतिशत प्राप्त करने की अनिवार्यता उक्तानुसार ही लागू होगी।

नोट :- (1) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग/विशेष योग्यजन अभ्यर्थियों हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के न्यूनतम उत्तीर्णांक में 5 प्रतिशत की छूट मान्य होगी।

(2) विधवा/परित्यक्ता महिलाओं को निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के न्यूनतम उत्तीर्णांक में 5 प्रतिशत की छूट माननीय न्यायालय द्वारा एसबी सिविल रिट याचिका 10182/2012 में पारित निर्णय दिनांक 10.10.12 द्वारा दी गई थी जिसमें डीबी अपील सं0 1022/2013 में माननीय न्यायालय द्वारा स्थगन दिया हुआ है। अतः वे आवेदन कर सकेंगी किन्तु उनकी पात्रता डीबी में पारित होने वाले निर्णय के अधधीन होगी।

● **NCTE की अधिसूचना दिनांक 29 जुलाई 2011 के अनुसार :-** भाषा के अध्यापक, सामाजिक अध्ययन, गणित, विज्ञान आदि के अध्यापकों के सम्बन्ध में इस अधिसूचना में निर्धारित न्यूनतम योग्यता मापदण्ड लागू होंगे।

10 भर्ती प्रक्रिया :-

1. राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (RTET/REET) में 60 प्रतिशत से उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक पद पर नियुक्ति हेतु पात्र होंगे।
2. राज्य सरकार के राजपत्र क्रमांक F.7(I)EE/Plan/2011 दिनांक 29.08.2012 के अनुसार अधिसूचित क्षेत्रों (T.S.P.) के अनुसूचित जनजाति के 36 प्रतिशत से उत्तीर्ण अभ्यर्थी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक पद पर नियुक्ति हेतु पात्र होंगे।

11 भर्ती हेतु योग्यता सूची (Merit List) की प्रक्रिया :-

राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (RTET-2011या RTET-2012 अथवा REET-2015) में शामिल सभी अभ्यर्थियों को जिन्होंने **बिन्दु संख्या 10 के अनुसार** पात्रता अर्जित कर ली है, स्तर-I व स्तर-II पर शिक्षक भर्ती की योग्यता सूची में वरीयता क्रम में जिलों की सूची में शामिल किया जाएगा। योग्यता सूची में मेरिट RTET/REET परीक्षाओं के अधिकतम प्राप्तांकों के आधार पर दशमलव के दो अंकों तक तैयार की जायेगी।

नोट:-

1. समान वरियता (Merit) प्राप्त करने वाले अर्थात् दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के समान प्राप्तांक होने पर इन अभ्यर्थियों की जन्म तिथि के आधार पर वरियता निर्धारित की जावेगी। जन्मतिथि तथा प्राप्तांक समान होने पर अभ्यर्थी की उच्च शैक्षणिक योग्यता के आधार पर वरियता निर्धारित की जावेगी। उच्च शैक्षणिक योग्यता एवं जन्मतिथि समान होने की स्थिति में अभ्यर्थी की निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में प्राप्तांकों के प्रतिशत के आधार पर वरियता निर्धारित की जावेगी। उपरोक्त समस्त परिस्थितियां समान होने पर निर्धारित शैक्षणिक योग्यता उत्तीर्ण किये गये वर्ष के आधार पर वरियता निर्धारित की जावेगी।

12.अन्य आवश्यक निर्देश/सूचना

1. भर्ती एवं पात्रता तथा केवल भर्ती हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को जिलेवार विकल्प सूची में शामिल होने के लिये TSP क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य सभी जिलों की वरियता देनी होगी। परन्तु TSP Area के अभ्यर्थी TSP Area के जिलों के साथ-साथ अन्य जिलों के लिये भी वरियता दे सकेंगे। तृतीय श्रेणी अध्यापक का कैडर जिलेवार होता है।
2. अभ्यर्थियों को उनके द्वारा पूर्व में इस विज्ञापित के बिन्दु संख्या 10 में निर्धारित नियमानुसार उत्तीर्ण RTET परीक्षा/परीक्षाओं का नामांक एवं परिणाम प्रतिशत इत्यादि की सूचना आवश्यक रूप से देनी होगी।
3. ऑनलाईन फॉर्म भरने की अन्तिम दिनांक को रात्रि 12 बजे तक ऑनलाईन फॉर्म भरे जा सकेंगे। रात्रि 12 बजे बाद लिंक निष्क्रिय हो जायेगा। अतः अन्तिम दिनांक का इन्तजार किये बिना समय सीमा में आवेदन करें।
4. आवेदको द्वारा ऑनलाईन आवेदन पर उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर ही वरियता सूची बनायी जावेगी। उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की वैधता की जांच नहीं की गई है, अतः इस संबंध में पात्रता संबंधी समस्त उत्तरदायित्व स्वयं आवेदक का होगा।
5. शासन के परिपत्र क्रमांक प.6(19)गृह-13/2006 दिनांक 22.05.06 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है। तत्संबंधी प्रमाण पत्र नियुक्ति के समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।
6. किसी भी विवाहित अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जायेगा, यदि उसने अपने विवाह के समय दहेज स्वीकार किया होगा।
7. किसी भी प्रतियोगी/पात्रता परीक्षा में वंचित (Debar) किये गये आवेदक जिनके वंचित (Debar) होने की अवधि आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक समाप्त नहीं हुई है, इस परीक्षा हेतु आवेदन नहीं कर सकते।
8. सभी आवेदक जो पहले से राजकीय सेवा में हो, या राजकीय औद्योगिक उपक्रमों में हो, या किसी प्रकार के अन्य संगठनों में हो, या गैर सरकारी संस्था में नियुक्त हो, उन्हें नियुक्ति के समय अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र नियुक्ति अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। जो आवेदक पहले से ही राजकीय सेवा/उक्त उपक्रमों में कार्यरत है, उन्हें अपने नियोक्ता को इस परीक्षा में सम्मिलित होने की लिखित सूचना दी जाकर अनापत्ति प्राप्त कर लेना चाहिये।

13.कानूनी विवादों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण :-

1. सभी विवादों के लिए न्यायिक कार्यक्षेत्र केवल बीकानेर होगा।
2. अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित प्रारूप में घोषणा एवं शपथ पत्र संलग्न करना होगा।

आवेदक द्वारा घोषणा

मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री(नाम) घोषणा

करता/करती हूँ कि :-

1. मैंने राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के संबंधित भर्ती नियमों के लिए निर्धारित सामान्य निर्देशों का अध्ययन कर लिया है। जिनकी पालना करने के लिए मैं बाध्य हूँ।
2. मैं किसी भी स्थिति में जमा शुल्क लौटाने के लिए नहीं कहूँगा/कहूँगी।
3. मुझे किसी भी अपराधिक कृत्य के लिए किसी भी न्यायालय ने कभी दण्डित नहीं किया है। पूर्व आयोजित प्रतियोगी/पात्रता परीक्षाओं में अनुचित साधन प्रयुक्त करने पर अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।
4. (अ) किसी गलती या विवाद की स्थिति में पहले मैं प्रकरण संबंधी पूर्ण वस्तुस्थिति के साथ निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा राज0 बीकानेर में प्रतिवेदन भेजूँगा/भेजूँगी और 30 दिवस में मामले का निस्तारण न होने के पश्चात् ही न्यायालय से न्याय प्राप्ति हेतु कार्यवाही करूँगा/करूँगी।
(ब) यदि मैंने अकारण अथवा वास्तविक तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर निदेशालय के विरुद्ध न्यायालय में कोई वाद दायर किया तो निदेशालय को समुचित मुआवजा देने को बाध्य होऊँगा/होऊँगी।
5. मैं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिसूचना दिनांक 23, अगस्त 2010 सपठित (29 जुलाई 2011) के संशोधित मापदण्डानुसार, NCTE की Guidelines व राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार परीक्षा की पात्रता रखता/रखती हूँ।
6. अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग से सम्बन्धित प्रमाण पत्र वैध अवधि का है।
7. आवेदन पत्र मे कमी, त्रुटि होने, तथ्य छिपाने, गलत तथ्य देने की वजह से आवेदन पत्र/पात्रता नहीं रखने पर किसी भी स्तर पर निरस्त किये जाने हेतु मेरी सहमति है।
8. मैं डाऊनलोड किया हुआ आवेदन-पत्र, घोषणा पत्र, शपथ-पत्र एवं सम्बन्धित दस्तावेज स्वयं के पास सुरक्षित रखूँगा/रखूँगी, जिन्हें कार्यालय द्वारा मंगवाये जाने पर निर्देशानुसार जमा करा दूँगा/दूँगी।
9. मेरे मूल दस्तावेजों का अन्तिम सत्यापन नियुक्ति देने वाली संस्था द्वारा किया जायेगा। यदि इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि या कमी अथवा कोई तथ्य गलत पाया जाये तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी।
10. मैं इस तथ्य से भलिभाति अवगत हूँ कि निर्धारित पात्रता प्राप्त होने अथवा योग्यता सूची में शामिल होने से ही मुझे अध्यापक पद पर नियुक्ति का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

11. मुझे यह जानकारी है कि मैं REET/RTET में पात्रता प्राप्त करने के बावजूद सम्बन्धित शिक्षक पाठ्यक्रम (बी.एस.टी.सी./बी.एड./समकक्ष पाठ्यक्रम) उत्तीर्ण होने पर ही राज्य सरकार द्वारा आयोजित की जाने वाली भर्ती हेतु पात्र माना जाऊँगा/जाऊँगी।
12. मैं इस तथ्य से भलिभांति अवगत हूँ कि मेरे किसी भी दस्तावेज का इस भर्ती से पूर्व सत्यापन नहीं किया गया है। समस्त वांछित मूल दस्तावेज मैं नियुक्ति के समय नियोक्ता संस्था के समक्ष प्रस्तुत कर दूँगा/दूँगी।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

स्थान :
दिनांक :
फोन नम्बर मय कोड :
मोबाईल नम्बर :

नाम :
पता :

आवेदक का शपथ-पत्र

मैं..... पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री उम्र.....
जाति..... निवासी..... व्यवसाय..... शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि

- मैंने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की अधिसूचना दिनांक 23, अगस्त 2010 सपटित (29 जुलाई 2011) के संशोधित मापदण्डानुसार एवं विज्ञप्ति में दिये गये निर्देशों का भली-भाँति अध्ययन कर लिया है तथा मैं परीक्षा देने की न्यूनतम शैक्षिक एवं व्यवसायिक योग्यता की पात्रता रखता/रखती हूँ।
- मैं निशुल्क एवं बाल शिक्षा अधिनियम 2009 की धारा 2 के खण्ड (ढ) में सन्दर्भित स्कूलों में अध्यापक के रूप में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यताएँ रखता/रखती हूँ। मेरे द्वारा भरे आवेदन-पत्र के साथ संलग्न समस्त दस्तावेजों में यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि मैं न्यूनतम योग्यता नहीं रखता/रखती हूँ अथवा दस्तावेज फर्जी पाये जाते हैं या झूठा शपथ-पत्र दिया गया है तो मैं राज्य सरकार द्वारा अध्यापक पद के लिये विज्ञापित किसी भी नियुक्ति के लिये अयोग्य माना जाऊँगा/मानी जाऊँगी।
- मुझे किसी भी अपराधिक कृत्य के लिये किसी भी न्यायालय द्वारा कभी दण्डित नहीं किया गया है।
- किसी गलती या विवाद की स्थिति में, मैं अपना प्रतिवेदन निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राज0 बीकानेर को प्रस्तुत करूँगा/करूँगी। 30 दिन तक भी प्रकरण का निस्तारण नहीं होने के बाद ही न्यायालय में न्याय प्राप्ति हेतु कार्यवाही करूँगा/करूँगी।
- मेरे मूल दस्तावेजों का सत्यापन नियुक्ति देने वाली संस्था द्वारा किया जावेगा। इसमें किसी प्रकार की त्रुटि या कमी अथवा कोई तथ्य गलत पाये जाने पर सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी स्वयं की होगी।
- मैं इस तथ्य से भली-भाँति अवगत हूँ कि भर्ती हेतु मेरिट लिस्ट में शामिल होना भर्ती के लिए एक आवश्यक न्यूनतम मापदण्ड है। मात्र इस कारण से मुझे अध्यापक पद पर नियुक्ति का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

हस्ताक्षर

अभ्यर्थी का नाम :

स्वसत्यापन

मैं..... पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री उम्र..... जाति.....
निवासी..... व्यवसाय..... सत्यापन करता/करती हूँ कि उक्त शपथ-पत्र में अंकित सभी कथन मेरी जानकारी एवं निष्ठा के अनुसार सही एवं सत्य हैं। इसमें मैंने कोई भी तथ्य नहीं छिपाया है।

हस्ताक्षर

अभ्यर्थी का नाम :

मोबाईल नम्बर :

आवेदन पत्र के साथ संलग्नकों की सूची

सीधी भर्ती में अभ्यर्थियों से अपने मूल ऑनलाईन आवेदन-पत्र, घोषणा-पत्र तथा शपथ-पत्र एवं अन्य सम्बन्धित दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियां मुख्य कार्यकारी अधिकारी संबंधित जिला परिषद में जमा करवाई जाएंगी। अतः इस सम्बन्ध में सूचना समाचार-पत्रों के माध्यम से यथासमय प्रकाशित करवा दी जायेगी।

क्र.सं.	दस्तावेज/प्रमाण-पत्र का नाम	संलग्न सं.
1	मूल आवेदन-पत्र	
2	घोषणा-पत्र (उपरोक्त निर्धारित प्रारूप में)	
3	शपथ-पत्र (उपरोक्त निर्धारित प्रारूप में)	
4	सैकण्डरी / समकक्ष की अंकतालिका की प्रमाणित प्रति।	
5	सीनियर सैकण्डरी / समकक्ष की अंकतालिका की प्रमाणित प्रति।	
6	स्नातक / समकक्ष की अंकतालिका की प्रमाणित प्रति।	
7	बीएसटीसी / बी.एड. / समकक्ष की अंकतालिका की प्रमाणित प्रति।	
8	मूल निवास प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति।	
9	जाति प्रमाण-पत्र (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित क्षेत्र जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग) की प्रमाणित प्रति। नोट :- अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के लिए वैध अवधि का प्रमाण पत्र हो।	
10	शारीरिक विकलांगता प्रमाण-पत्र (सक्षम अधिकारी से प्रमाणित प्रति) (Under Clause (1) of section 2 of the Persons with disabilities (Equal Opportunities Protection of Rights and Full Participation) Act. 1995)	
11	विधवा की स्थिति में स्वयं का शपथ-पत्र एवं पति की मृत्यु का प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति।	

12	तलाकशुदा होने पर न्यायालय निर्णय/डिक्री की प्रमाणित प्रति।	
13	अभ्यर्थी के वर्तमान में उपरोक्त शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में अध्ययनरत होने का प्रमाण-पत्र (संस्था प्रधान द्वारा जारी)	
14	RTET-2011 का प्रमाण पत्र (यदि परीक्षा 60% या अधिक अंको (टीएसपी एसटी के अभ्यर्थी के मामले में 36 प्रतिशत) से उत्तीर्ण की है तो।)	
15	RTET-2012 का प्रमाण पत्र (यदि परीक्षा 60% या अधिक अंको (टीएसपी एसटी के अभ्यर्थी के मामले में 36 प्रतिशत) से उत्तीर्ण की है तो।)	
16	REET 2015 का प्रमाण पत्र (यदि परीक्षा 60% या अधिक अंको (टीएसपी एसटी के अभ्यर्थी के मामले में 36 प्रतिशत) से उत्तीर्ण की है तो।)	
कुल संलग्नकों की संख्या		

अभ्यर्थियों के दिशा निर्देशों हेतु हैल्प-लाइन तथा ई-मेल की सुविधा :

अभ्यर्थी अपने आवेदन के विषय में किसी भी प्रकार के मार्ग दर्शन/सूचना/स्पष्टीकरण के लिए सभी कार्य दिवसों में 10 से 5 बजे के मध्य, निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राज0बीकानेर पर व्यक्तिगत रूप से संपर्क अथवा ई-मेल कर सकते हैं अथवा हैल्पलाईन नं. पर सम्पर्क कर सकते हैं।

निदेशक प्रारंभिक शिक्षा